National Research Journal of Information Technology & Information Science
Volume No: 11, Issue No: 1, Year: 2024 (January-June)
PP: 197-205
ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

संघीय ढाँचे में न्यायिक सक्रियता: सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की संस्थागत भूमिका का अध्ययन

प्रियसी

शोधार्थी,

विश्विद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्विद्यालय, दरभंगा

सारांश

भारतीय संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका केवल विवाद-निपटान की संस्था नहीं है, बल्कि संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकारों की रक्षा, शासन-संतुलन और संघीय मर्यादा की संरक्षक संस्था भी है। 21वीं सदी में न्यायिक सक्रियता का स्वरूप अधिक व्यापक हुआ है, क्योंकि अब न्यायालय नागरिक स्वतंत्रता, पर्यावरण, लैंगिक न्याय, प्रशासनिक जवाबदेही, चुनावी शुचिता, डिजिटल निजता और केंद्र–राज्य संबंधों जैसे विषयों पर निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र द्वितीयक आँकड़ों, संवैधानिक प्रावधानों, प्रमुख निर्णयों तथा National Judicial Data Grid और Supreme Court Annual Report के सांख्यिकीय विवरणों पर आधारित है। अध्ययन का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायिक सक्रियता की तुलनात्मक संस्थागत भूमिका का विश्लेषण करना है। परिणामों से स्पष्ट होता है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय संवैधानिक प्रश्नों, संघीय विवादों और मौलिक अधिकारों की व्याख्या में केंद्रीय भूमिका निभाता है, जबकि उच्च न्यायालय नागरिकों के निकट स्थित संवैधानिक न्यायालय के रूप में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अधिक व्यापक और प्रत्यक्ष न्यायिक हस्तक्षेप करते हैं। आँकड़ों के अनुसार उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 63,97,451 है, जिनमें रिट याचिकाएँ 19,08,051 हैं; यह उच्च न्यायालयों की संवैधानिक सक्रियता की व्यापकता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय में कुल लंबित मामलों की संख्या 92,823 है, जबकि वर्तमान वर्ष में निपटान-दर 96.28 प्रतिशत दर्ज की गई है।

मुख्य शब्द: न्यायिक सक्रियता, संघवाद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, संविधानवाद, न्यायिक पुनरावलोकन।

1. प्रस्तावना

भारतीय संविधान ने शासन की संरचना को संघीय रूप दिया है, परंतु यह संघवाद कठोर विभाजन के स्थान पर सहकारी और समन्वयात्मक संघवाद पर आधारित है। इस व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सातवीं अनुसूची की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया है। किंतु संवैधानिक व्यवहार में अनेक बार विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार-क्षेत्रों को लेकर विवाद उत्पन्न होते हैं। ऐसे समय में न्यायपालिका संविधान की अंतिम व्याख्याकार के रूप में सामने आती है।

न्यायिक सक्रियता का अर्थ केवल न्यायालय द्वारा सरकार के निर्णयों को निरस्त करना नहीं है। इसका व्यापक अर्थ है—संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए न्यायपालिका द्वारा ऐसे हस्तक्षेप करना जिनसे अधिकारों का वास्तविक संरक्षण हो, शासन में जवाबदेही बढ़े और विधायिका एवं कार्यपालिका अपनी संवैधानिक सीमाओं में रहें। भारतीय संदर्भ में न्यायिक सक्रियता का विकास विशेष रूप से लोकहित

© Copyright @ Authors

ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

याचिका, मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या, नीति-निर्देशक तत्वों को न्यायिक अर्थ देने तथा प्रशासनिक निष्क्रियता के विरुद्ध न्यायिक निर्देशों के माध्यम से हुआ है [1], [2], [3]।

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही संवैधानिक न्यायालय हैं, किंतु दोनों की संस्थागत भूमिका अलग-अलग स्तरों पर विकसित होती है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32, 131, 136, 141 और 142 के अंतर्गत राष्ट्रीय संवैधानिक प्रश्नों, संघीय विवादों और अंतिम अपीलीय न्याय की संस्था है। दूसरी ओर उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न केवल मौलिक अधिकारों बल्कि "अन्य प्रयोजनों" के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। इस कारण उच्च न्यायालयों की सक्रियता अधिक स्थानीय, त्वरित और नागरिक-संपर्क आधारित होती है [4]।

2. अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध-पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

भारतीय संघीय ढाँचे में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा और संवैधानिक आधार का अध्ययन करना।

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की संस्थागत भूमिका का तुलनात्मक विश्लेषण करना।

National Judicial Data Grid और Supreme Court Annual Report के आधार पर न्यायिक सक्रियता से जुड़े संस्थागत संकेतकों का सांख्यिकीय परीक्षण करना।

यह समझना कि न्यायिक सक्रियता भारतीय संघवाद को सुदृढ़ करती है या कभी-कभी संस्थागत तनाव भी उत्पन्न करती है।

न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के बीच संतुलन के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

3. शोध-प्रविधि

यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। अध्ययन में भारतीय संविधान, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय, National Judicial Data Grid, Supreme Court of India Annual Report 2023–24, e-Courts संबंधी सरकारी सूचना तथा न्यायिक सक्रियता पर उपलब्ध विधि और राजनीति-विज्ञान साहित्य का उपयोग किया गया है।

सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए संस्थान, निपटान और लंबित मामलों के आँकड़ों से Clearance Rate निकाली गई है। इसका सूत्र है—

Clearance Rate = Disposal / Institution × 100

यदि यह दर 100 प्रतिशत से अधिक है, तो उसका अर्थ है कि उस अवधि में न्यायालय ने दाखिल मामलों से अधिक मामलों का निपटान किया। यदि यह दर 100 प्रतिशत से कम है, तो लंबित मामलों में वृद्धि की संभावना रहती है।

4. न्यायिक सक्रियता का संवैधानिक आधार

भारतीय न्यायिक सक्रियता का आधार संविधान की मूल संरचना, न्यायिक पुनरावलोकन और मौलिक अधिकारों की रक्षा में निहित है। Kesavananda Bharati v. State of Kerala में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार संसद संविधान संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती [2]। इसके बाद Minerva Mills v. Union of India ने न्यायिक पुनरावलोकन और मौलिक अधिकारों को संविधान की मूल संरचना से जोड़ा [3]।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

संघीय ढाँचे में न्यायिक सक्रियता का विशेष महत्व S. R. Bommai v. Union of India में दिखाई देता है, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर नियंत्रण लगाया और राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा को स्वीकार किया [5]। यह निर्णय भारतीय संघवाद की रक्षा में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

लोकहित याचिका ने न्यायिक सक्रियता को सामाजिक न्याय का उपकरण बनाया। Vishaka v. State of Rajasthan में विधायी रिक्तता की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए [6]। Justice K. S. Puttaswamy v. Union of India में निजता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना गया [7]। इन निर्णयों से स्पष्ट होता है कि न्यायिक सक्रियता केवल सरकार-विरोधी रुख नहीं है, बल्कि संवैधानिक अधिकारों की जीवन्त व्याख्या है।

5. सर्वोच्च न्यायालय की संस्थागत भूमिका

सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघवाद में तीन स्तरों पर सक्रिय भूमिका निभाता है। पहला, यह संविधान की अंतिम व्याख्या करता है। दूसरा, यह केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों का निपटान करता है। तीसरा, यह उच्च न्यायालयों के निर्णयों की अपीलीय समीक्षा करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर अधिक दिखाई देती है। मौलिक अधिकार, चुनावी सुधार, आरक्षण, धर्मनिरपेक्षता, संघीय संतुलन, पर्यावरण और नागरिक स्वतंत्रता जैसे विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार नीतिगत प्रभाव वाले निर्णय दिए हैं। अनुच्छेद 142 के अंतर्गत "पूर्ण न्याय" करने की शक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी संस्थागत क्षमता दी है, जिसके आधार पर वह सामान्य विधिक उपचारों से आगे जाकर न्याय-साधन कर सकता है [1]।

Supreme Court Annual Report 2023–24 के अनुसार जनवरी से अगस्त 2024 के बीच सर्वोच्च न्यायालय में 39,940 मामले संस्थापित हुए और 38,278 मामलों का निपटान हुआ; अगस्त 2024 के अंत में लंबित मामलों की संख्या 82,336 थी। 2024–25 की Annual Report के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अलग से Volume-1 और उच्च न्यायालयों के लिए Volume-2 जारी किया है, जिससे न्यायिक प्रशासन की संस्थागत पारदर्शिता बढ़ती है।

6. उच्च न्यायालयों की संस्थागत भूमिका

उच्च न्यायालय भारतीय न्यायिक संघवाद की सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं, क्योंकि वे राज्यों में संवैधानिक न्याय के प्रथम बड़े मंच के रूप में कार्य करते हैं। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्ति अनुच्छेद 32 से भी व्यापक है, क्योंकि वे मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। यही कारण है कि प्रशासनिक निर्णय, भूमि-अधिग्रहण, पुलिस निष्क्रियता, सेवा-विवाद, स्थानीय निकाय, शिक्षा, स्वास्थ्य और राज्य शासन से संबंधित प्रश्नों पर उच्च न्यायालयों की सक्रियता अधिक प्रत्यक्ष दिखाई देती है।

NJDG के अनुसार उच्च न्यायालयों में कुल लंबित मामले 63,97,451 हैं, जिनमें 44,74,335 सिविल और 19,23,116 आपराधिक मामले हैं। उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की संख्या 15,31,536 है, जो कुल लंबित मामलों का लगभग 24 प्रतिशत है। यह स्थिति दिखाती है कि उच्च न्यायालयों पर न्यायिक सक्रियता और न्यायिक बोझ दोनों साथ-साथ बढ़ रहे हैं।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाओं की संख्या 19,08,051 है। यह आँकड़ा इस बात का संकेत है कि नागरिक और संस्थाएँ शासन की वैधता, प्रशासनिक निर्णयों और अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्च न्यायालयों पर व्यापक रूप से निर्भर हैं।

7. परिणाम एवं सांख्यिकीय विश्लेषण

सर्वोच्च न्यायालय में संस्थान, निपटान और लंबित मामलों की प्रवृत्ति

तालिका 1: सर्वोच्च न्यायालय में संस्थान, निपटान, लंबित मामले और Clearance Rate

वर्ष	संस्थापित मामले	निपटाए गए मामले	लंबित मामले	Clearance Rate (%)
2014	89,164	92,722	62,791	103.99
2015	78,444	82,092	59,272	104.65
2016	79,244	75,979	62,537	95.88
2017	56,104	63,053	55,588	112.39
2018	39,228	37,470	57,346	95.52
2019	43,613	41,100	59,859	94.24
2020	25,897	20,670	65,086	79.82
2021	29,739	24,586	70,239	82.67
2022	36,565	39,800	78,797	108.85
2023	53,835	51,958	80,674	96.51
2024*	39,940	38,278	82,336	95.84

*2024 के आँकड़े अगस्त 2024 तक हैं। स्रोत: Supreme Court Annual Report 2023–24.

2014 से 2024 तक औसत Clearance Rate 97.30 प्रतिशत रही। 2020 और 2021 में COVID-19 काल के कारण निपटान-दर क्रमशः 79.82 प्रतिशत और 82.67 प्रतिशत तक घट गई। 2022 में यह दर 108.85 प्रतिशत हुई, जिससे यह संकेत मिलता है कि न्यायालय ने महामारी के बाद लंबित मामलों को कम करने का प्रयास किया। इसके बावजूद 2024 तक लंबित मामलों की संख्या 82,336 तक पहुँची, जो यह दिखाती है कि निपटान बढ़ने के बावजूद संस्थागत बोझ बना हुआ है।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

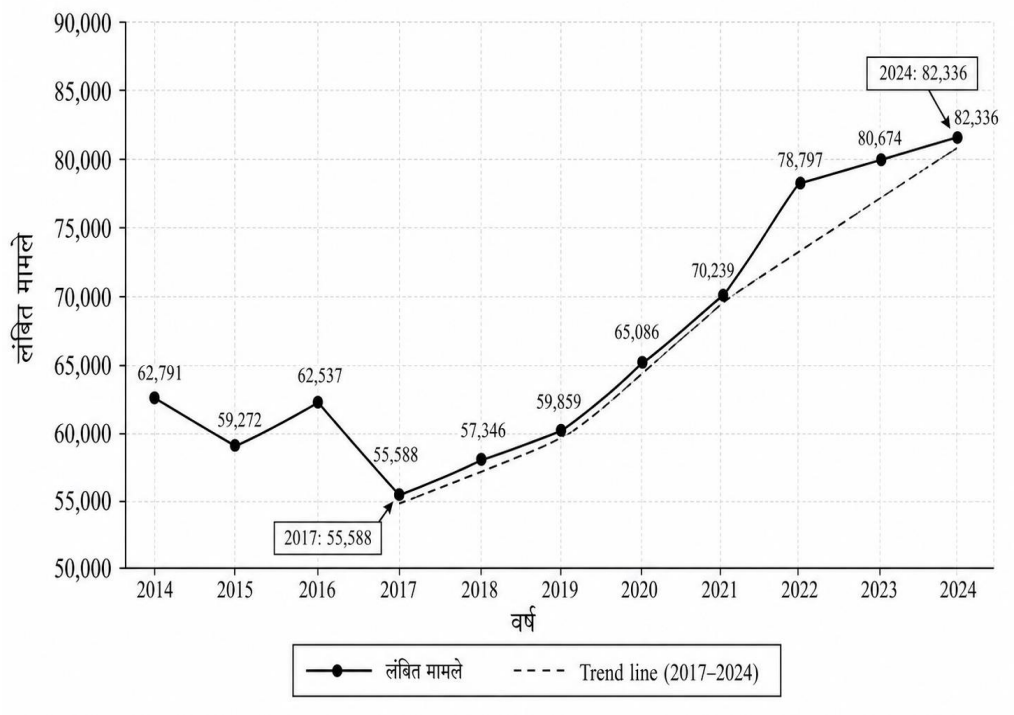

चित्र 1: सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की प्रवृत्ति, 2014–2024

जनवरी–अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय की मासिक निपटान-दर

तालिका 2: जनवरी–अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय की मासिक Clearance Rate

माह	संस्थापित मामले	निपटाए गए मामले	लंबित मामले	Clearance Rate (%)
जनवरी	4,973	5,839	79,808	117.41
फरवरी	5,463	5,922	79,349	108.40
मार्च	4,666	3,861	80,154	82.75
अप्रैल	5,157	4,787	80,524	92.83
मई	4,908	3,422	82,010	69.72
जून	3,016	1,112	83,914	36.87
जुलाई	5,614	7,051	82,477	125.60
अगस्त	6,143	6,284	82,336	102.30

स्रोत: Supreme Court Annual Report 2023–24.

© Copyright @ Authors

ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

जनवरी–अगस्त 2024 के दौरान औसत मासिक Clearance Rate 91.98 प्रतिशत रही। जून 2024 में यह दर 36.87 प्रतिशत तक घट गई, जबकि जुलाई 2024 में 125.60 प्रतिशत तक पहुँची। इससे स्पष्ट होता है कि सर्वोच्च न्यायालय की मासिक कार्यक्षमता में अवकाश, पीठ-गठन, सूचीकरण और संस्थागत प्राथमिकताओं के कारण उतार-चढ़ाव रहता है।

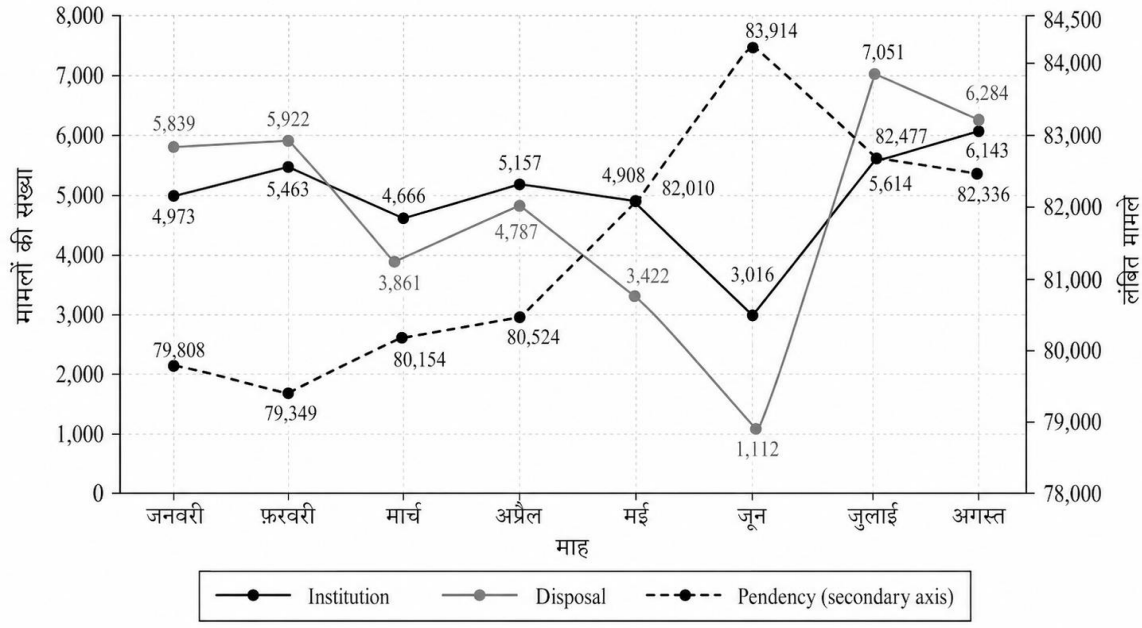

चित्र 2: जनवरी–अगस्त 2024 में Institution, Disposal और Pendency का संयुक्त रेखीय चित्र
उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाओं और लंबित मामलों का विश्लेषण

तालिका 3: उच्च न्यायालयों में चयनित लंबित मामलों की स्थिति

संकेतक	सिविल	आपराधिक	कुल
कुल लंबित मामले	44,74,335	19,23,116	63,97,451
10 वर्ष से अधिक पुराने मामले	10,29,759	5,01,777	15,31,536
रिट याचिकाएँ	18,04,226	1,03,825	19,08,051
वर्तमान वर्ष में संस्थापित मामले	5,20,128	3,67,722	8,87,850
वर्तमान वर्ष में निपटाए गए मामले	5,16,085	3,49,084	8,65,169

स्रोत: NJDG High Courts Dashboard.

वर्तमान वर्ष में उच्च न्यायालयों की Clearance Rate = 8,65,169 / 8,87,850 × 100 = 97.45%

रिट याचिकाओं का कुल लंबित मामलों में अनुपात = 19,08,051 / 63,97,451 × 100 = 29.83%

10 वर्ष से अधिक पुराने मामलों का अनुपात = 15,31,536 / 63,97,451 × 100 = 23.94%

© Copyright @ Authors

ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

उच्च न्यायालयों में लगभग 30 प्रतिशत लंबित मामले रिट-प्रकृति के हैं। यह तथ्य बताता है कि उच्च न्यायालय केवल अपीलीय या सामान्य दीवानी-अपराधिक न्यायालय नहीं हैं, बल्कि नागरिक अधिकारों और प्रशासनिक न्याय के प्रमुख संवैधानिक मंच हैं। 10 वर्ष से अधिक पुराने मामलों का लगभग 24 प्रतिशत अनुपात न्यायिक सक्रियता की सीमा भी दिखाता है—न्यायालय सक्रिय हैं, परंतु लंबित मामलों का ढाँचा उनकी संस्थागत क्षमता पर दबाव डालता है।

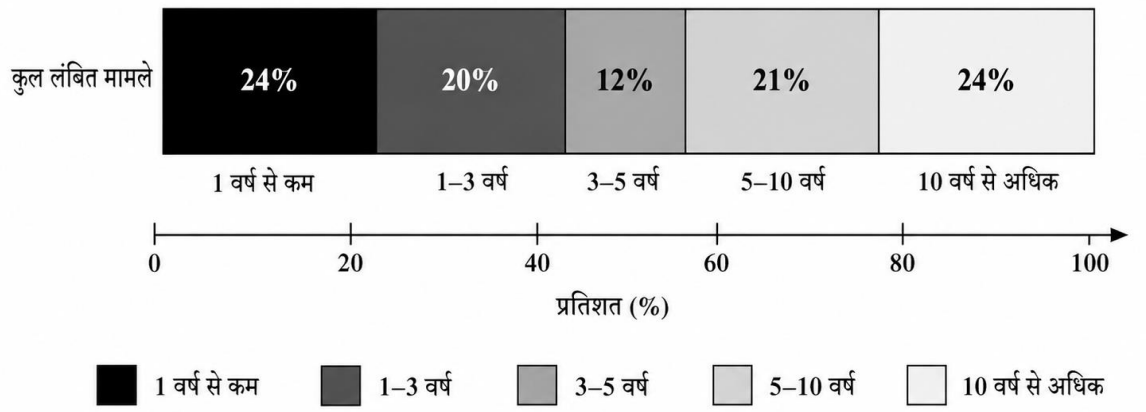

चित्र 3: उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की आयु-रचना

जिला न्यायालयों की पृष्ठभूमि और संघीय न्यायिक भार

NJDG के अनुसार जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में कुल लंबित मामले 4,89,55,054 हैं, जिनमें 1,11,22,261 सिविल और 3,78,32,793 आपराधिक मामले हैं। पिछले महीने में 26,67,983 मामले संस्थापित हुए और 32,61,471 मामलों का निपटान हुआ।

यह आँकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता का बड़ा भाग अधीनस्थ न्यायपालिका की कार्यकुशलता से भी जुड़ा है। यदि निचली अदालतों में लंबित मामलों का बोझ बढ़ता है, तो अपील, पुनरीक्षण और रिट याचिकाओं के माध्यम से उच्च न्यायालयों पर अतिरिक्त भार आता है। इस प्रकार न्यायिक सक्रियता को केवल संवैधानिक निर्णयों से नहीं, बल्कि पूरी न्यायिक संरचना की क्षमता से जोड़कर देखना चाहिए।

8. चर्चा

सांख्यिकीय परिणामों से तीन प्रमुख निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका अधिकतर राष्ट्रीय संवैधानिक प्रश्नों और अंतिम अपीलीय न्याय से संबंधित है। इसकी सक्रियता का प्रभाव व्यापक और सर्वभारतीय होता है। उदाहरण के लिए, निजता, लैंगिक समानता, LGBTQ+ अधिकार, संघीय मर्यादा और चुनावी जवाबदेही से जुड़े निर्णय पूरे देश की संवैधानिक दिशा तय करते हैं [5]–[8]।

दूसरा, उच्च न्यायालयों की सक्रियता अधिक व्यावहारिक और नागरिक-केंद्रित है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय राज्य प्रशासन की वैधता, पुलिस कार्रवाई, सेवा-विवाद, स्थानीय शासन, भूमि, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करते हैं। रिट याचिकाओं की बड़ी संख्या इस बात का प्रमाण है कि उच्च न्यायालय संघीय व्यवस्था में नागरिकों और राज्य-शक्ति के बीच सबसे निकट संवैधानिक संतुलनकारी संस्था हैं।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

तीसरा, न्यायिक सक्रियता की सफलता न्यायिक क्षमता पर निर्भर करती है। यदि न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक है, तो अधिकारों की रक्षा में विलंब होता है। विलंबित न्याय सक्रिय न्यायिक भूमिका की प्रभावशीलता को कमजोर करता है। e-Courts Phase III को 2023 से चार वर्षों के लिए ₹7,210 करोड़ के वित्तीय प्रावधान के साथ स्वीकृत किया गया है, जिसका उद्देश्य ICT आधारित न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। यह पहल न्यायिक सक्रियता को अधिक प्रभावी बना सकती है, यदि इसे केस मैनेजमेंट, ई-फाइलिंग, डिजिटल रिकॉर्ड, वर्चुअल सुनवाई और डेटा-आधारित प्रशासन से जोड़ा जाए।

9. निष्कर्ष

भारतीय संघीय ढाँचे में न्यायिक सक्रियता ने संविधान को एक जीवंत दस्तावेज के रूप में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत, मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या, संघीय मर्यादा और संवैधानिक नैतिकता के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक सक्रियता को दिशा दी है। दूसरी ओर, उच्च न्यायालयों ने अनुच्छेद 226 के माध्यम से नागरिकों को अधिक निकट, व्यावहारिक और व्यापक संवैधानिक उपचार प्रदान किया है।

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि न्यायिक सक्रियता भारतीय लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, परंतु इसकी वैधता न्यायिक संयम, संस्थागत पारदर्शिता और समयबद्ध न्याय से जुड़ी हुई है। न्यायपालिका को उन क्षेत्रों में सक्रिय रहना चाहिए जहाँ मौलिक अधिकारों का हनन, प्रशासनिक निष्क्रियता, संघीय असंतुलन या संवैधानिक मूल्यों का संकट हो। किंतु नीति-निर्माण के विशुद्ध क्षेत्रों में न्यायालयों को सावधानी रखनी चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच संतुलन बना रहे।

10. सुझाव

उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाओं के त्वरित निपटान के लिए अलग संवैधानिक/प्रशासनिक रिट पीठों का गठन किया जाना चाहिए।

10 वर्ष से अधिक पुराने मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विशेष समयबद्ध न्यायिक अभियान चलाया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक पीठों की नियमितता बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि संघीय और मौलिक अधिकार संबंधी प्रश्न लंबे समय तक लंबित न रहें।

e-Courts Phase III को केवल तकनीकी परियोजना न मानकर न्यायिक प्रशासन सुधार के रूप में लागू किया जाना चाहिए।

न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के मानदंडों पर न्यायालयों द्वारा स्पष्ट संस्थागत दिशानिर्देश विकसित किए जाने चाहिए।

उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की वार्षिक रिपोर्टों में रिट याचिकाओं, PIL, संघीय विवादों और संवैधानिक मामलों पर अलग सांख्यिकीय अध्याय शामिल किया जाना चाहिए।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

संदर्भ:

1. Constitution of India, 1950.
2. Kesavananda Bharati v. State of Kerala, (1973) 4 SCC 225.
3. Minerva Mills Ltd. v. Union of India, (1980) 3 SCC 625.
4. M. P. Jain, Indian Constitutional Law, 8th ed. Gurgaon: LexisNexis, 2018.
5. S. R. Bommai v. Union of India, (1994) 3 SCC 1.
6. Vishaka v. State of Rajasthan, (1997) 6 SCC 241.
7. Justice K. S. Puttaswamy v. Union of India, (2017) 10 SCC 1.
8. Navtej Singh Johar v. Union of India, (2018) 10 SCC 1.
9. Supreme Court of India, Indian Judiciary: Annual Report 2023–24. New Delhi: Supreme Court of India, 2024.
10. Supreme Court of India, "Indian Judiciary Annual Report 2024–25," Supreme Court of India, 2025.
11. National Judicial Data Grid, "Supreme Court of India Dashboard," Supreme Court of India, 2026.
12. National Judicial Data Grid, "High Courts of India Dashboard," e-Courts Services, 2026.
13. National Judicial Data Grid, "District and Subordinate Courts Dashboard," e-Courts Services, 2026.
14. Press Information Bureau, Government of India, "Cabinet approves eCourts Phase III for 4 years," Ministry of Law and Justice, Sept. 13, 2023.
15. S. P. Sathe, Judicial Activism in India: Transgressing Borders and Enforcing Limits. New Delhi: Oxford University Press, 2002.
16. Upendra Baxi, The Indian Supreme Court and Politics. Lucknow: Eastern Book Company, 1980.

© Copyright @ Authors